राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बरः–0141–2740735 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(495/81)/अलेसे–III/211 दिनांक :– 30-5-17

आदेश संख्या 29/2017–18

श्री बंशीधर जाट, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर), जयपुर के विरूद्ध भ्र.नि.ब्यूरो में पंजीबद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 260/99 के संबंध में सहायक निदेशक अभियोजन (भ्र.नि.ब्यूरो मामलात), जयपुर द्वारा इस निदेशालय को यह अवगत कराने पर कि "माननीय सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध करने के लिये छः माह का कठोर कारावास तथा 1000/रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अदम अदायगी जुर्माना एक माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है", निदेशालय के आदेश संख्या 09/2006–07 दिनांक 23.05.2006 के द्वारा श्री जाट को तत्काल प्रभाव से पदच्युत/राज्य सेवा से हटाया गया था।

माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. क्रिमिनल अपील सं. 489/2006 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 05.05.2006 को रद्द करते हुए श्री बंशीधर जाट पर लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण, विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 16(114) विधि–4/2017 दिनांक 28.04.2017 द्वारा अपील संख्या 489/2006 में नो अपील का निर्णय लिया गया है। अतः श्री जाट को राज्य सेवा से हटाने/पदच्युत करने की तिथी से पुनः सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथी तक की अवधि का कोई वेतन आदि परिलाभ नही दिए जाने का निर्णय लेते हुए अब अधोहस्ताक्षरकर्ता, इसके द्वारा श्री बंशीधर जाट की पदच्युति/सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त करते है और तुरन्त प्रभाव से सेवा में पुनः स्थापित करते है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(495/81)/अलेसे–III/211 दिनांक :– 30-5-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विभाग, जयपुर।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, विधि/जॉच, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. श्री बंशीधर जाट, कनिष्ठ लेखाकार, माणीगरों की ढाणी, ग्राम–जैतपुरा, वाया–जैतपुरा, तह. चौमूं जिला जयपुर पिन कोड नं. 303704
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट ।
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु) ।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)